

पेश होवे।  
Ok  
(Read)

19.6.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्राकार उपस्थित।  
वकील बटका सुनी गयी। पत्रावली का  
अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि  
प्राची एवं अप्राचीण की संयुक्त अनारक्षी  
है। प्रथमदृष्टया मामला सुबिधा एवं संतुलन  
की दृष्टि से प्राची के पक्ष में है। रेखे में  
रिकॉर्ड व माँके की स्थिति में परिवर्तन  
किये जाने पर वाद विविधता बढ़ेगी।  
तथा प्राची को अपूरणीय क्षति होगी।


अतः अरखाशी निषेधाज्ञा जारी  
कर अप्राचीय गंगा को पाबंद किये जाते हैं।  
कि माँजा गङ्गीया मादर में खाता सं. 848  
के ख.सं. 701/480 रकबा 1.3759 भूमि में  
आतिक्रमण, निर्माण कार्य व तो रूखों को  
व अन्य किसी से करावे। प्राचीण को  
काश्त करने में रुकावट पैदा न करें। न  
अन्य किसी से करावे। रिकॉर्ड व माँके

2

उपखण्ड अधिकारी  
सीमलवाडा

की अध्यापिका बनाने के लिये।

पत्रावली में मूल वेतन के फैसले तक  
अनुसंधान विशेषज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली  
फॉर्मल शुमार होकर अंततः मूल वेतन रहे।

  
उपखण्ड अधिकांश  
मिलवाडा